कार्यालय, उप जिलाधिकारी, तहसील सीतापुर।

पत्रांक 107 / जि0पू0अ0 / दु0अनु0 / 2020 दिनांक 18 दिसम्बर 2020

प्रेस नोट

जनपद सीतापुर की तहसील सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद के ग्राम पंचायत सुजावलपुर (आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति) में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु खुली बैठक में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप निर्धारित आरक्षण के अनुरूप इच्छुक आवेदन पत्र प्राप्त करके, शासनादेशनुसार अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों के मध्य लॉटरी पद्धति से नये उचित दर विक्रेता को चयनित किया जाना है, जिसके लिए ग्राम पंचायत सुजावलपुर के अनुसूचित जाति श्रेणी के 21 वर्ष से अधिक एवं हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण निवासीगण अपने आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप एवं अर्हताओं, जिसकी प्रति आपूर्ति कार्यालय, तहसील सीतापुर से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है, पर दिनांक 05.01.2021 को अपरान्ह 05 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से 'उप जिलाधिकारी तहसील सीतापुर' के कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। कोई भी आवेदन पत्र सीधे (बिना रजिस्टर्ड डाक के) अथवा नियत तिथि व समय के उपरान्त् प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ आवेदक के बैंक खाते में कम से कम रू0 40000.00 (चालीस हजार मात्र) जमा होने का प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, शैक्षिक योग्यता, निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपराधिक मामला पंजीकृत न होने सम्बंधी पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य न होने, परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम उचित दर दुकान आवंटित न होने, परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न होने और उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अथवा आपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही न होने सम्बंधी शपथपत्र, जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर के पक्ष में देय रू0 1000/– की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य हैं। दुकान के चयन के सम्बंध में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी, सीतापुर का होगा। उक्त के सम्बंध में कोई भी जानकारी आपूर्ति कार्यालय, तहसील सीतापुर से प्राप्त की जा सकती है।

(अमित कुमार भट्ट)
उप जिलाधिकारी
तहसील सीतापुर,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी, महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–अपर जिलाधिकारी, महोदय सीतापुर।

3–सहायक सूचना निदेशक, जिला सूचना कार्यालय, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि जनहित में उक्त प्रेस नोट को निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस नोट को सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

5–खण्ड विकास अधिकारी, खैराबाद को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त प्रेस नोट, आवेदन पत्र का प्रारूप व शर्तों को ग्राम पंचायत सुजावलपुर के महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

6–क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, तहसील सीतापुर को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त प्रेस नोट, आवेदन पत्र का प्रारूप व शर्तों को समस्त सम्बंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7–ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सुजवालपुर।

उप जिलाधिकारी
तहसील सीतापुर,

रिक्त ग्राम पंचायत सुजावलपुर (आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति) ब्लाक खैराबाद तहसील व जनपद सीतापुर हेतु नई उचित दर की दुकान के चयन/आवंटन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर की दुकानों के आवंटन सम्बंधी शासनादेश सख्या–6/2019/1358/29–6–2019–16 सा0/2001 दिनांक 05 अगस्त 2019 में निर्दिष्ट अनिवार्य अर्हताओं से सम्बंधित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों/प्रमाण पत्रों/शपथपत्रों का विवरण :–

क0सं0	शासनादेश में निर्दिष्ट अर्हता	वॉछित अभिलेख
1	अभ्यर्थी के खाते में कम से कम 40 हजार रूपया उपलब्ध हो, ताकि वह अपनी दुकान को आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में उठान कर सके	बैंक/डाक घर में जमा धनरशि से सम्बंधित प्रमाण पत्र/अद्यतन बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति
2	अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।	चरित्र प्रमाण की मूलप्रति
3	अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष	शैक्षिक योग्यता सम्बंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति
4	अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।	आयु सम्बंधी प्रमाण पत्र
5	परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आवंटित न हो।	तत्सम्बंधी शपथपत्र
6	अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।	ई–ड्रिस्ट्रिक्ट से उप जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र
7	अभ्यर्थी द्वारा रू0 1000/–की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जिला पूति अधिकारी सीतापुर के पक्ष में जमा किये जायेगा।	ड्राफ्ट की मूलप्रति
8	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीकृत न हो, न ही वह किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो।	तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र
9	अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो और उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अथवा आपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्यवाही न हुई हो।	तत्सम्बंधी शपथपत्र
10	अभ्यथी ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य न होने सम्बंधी शपथपत्र संलग्न करेगा।	तत्सम्बंधी शपथपत्र
11	जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति)	ई–ड्रिस्ट्रिक्ट से उप जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र

उप जिलाधिकारी,
सीतापुर।

.शासनादेश संख्या–6/2019/1359/29–6–2019 –162सा0/2001 दिनांक 05.08.2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम पचांयत सुजावलपुर ब्लाक खैराबाद तहसील व जनपद सीतापुर में उचित दर की दुकान की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

दुकान का स्थान जहॉ के लिये आवेदन किया जा रहा है–

.(ग्राम पचांयत सुजावलपुर–आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति)

1. आवेदक का नाम...
2. पिता/पति का नाम...
3. पता...

   ....

4. जन्म तिथि..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. दिनांक 18.12.2020 को अभ्यर्थी की आयु वर्ष .... माह ....दिन ....
6. शैक्षिक योग्यता...(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. श्रेणी..(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. स्थान जहॉ दुकान संचालित की जायेगी, उसकी चौहद्दी...

   ....

9. वर्तमान व्यवसाय...
10. क्या आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम से नगर/ग्रामीण क्षेत्र अथवा अन्य किसी जनपद में उचित दर की दुकान संचालित हो रही है, तो उसका विवरण दिया जाये.............

    ....
11. क्या आवेदक किसी आपराधिक मामले में अभ्युिक्त/दोष सिद्व है ?
    यदि हॉ तो अपराध का विवरण दें...
12. आर्थिक स्थिति का व्यौरा 1– बैक का नाम व पता...
    2– खाता संख्या...
    3– जमा धनराशि...
13. आवेदक के प्रति स्थानीय ख्याति तथा आर्थिक स्थिति एवं सत्यापन के सम्बन्ध में स्थानीय दो सम्भ्रांत व्यक्तियों की संस्तुति –
    1–...
    2–...

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में लिखित सूचनायें मेरे अनुसार सही एवं सत्य है। कोई भी तथ्य छिपाये नहीं गये है। यदि उससे सम्बन्धित कोई भी सूचना या विवरण नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य पाया जाये, तो चयन के लिये आवेदन पत्र तथा चयनोपरान्त् उचित दर दुकान की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक......................

आवेदक के हस्ताक्षर

उप जिलाधिकारी,
सीतापुर।